

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.09.2021

सहारनपुर नगर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर यातायात व्यवस्था बनाये रखने के निमित्त पुलिस अधिनियम की धारा-31 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै डॉ० एस० चन्नपा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर विभिन्न प्रकार के वाहनों के आवागमन के लिए पूर्व में किये गये आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित आदेश पारित करता हूँ। जो दिनांक 08.09.2021 से प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 22:00 बजे तक प्रतिदिन प्रभावी रहेगा। समस्त भारी वाहनों के आवागमन/डायर्वर्जन के सम्बन्ध में निम्नलिखित मार्ग निर्धारित किया जाता है—

- दिल्ली/शामली की ओर से आने वाले भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली) आदि (खाद्य सामग्री वाहनों को छोड़कर जैसे— राशन, सब्जी दूध, दवाई इत्यादि व पैट्रोल/डीजल, गैस सिलेन्डर, यात्री बसें आदि) जिन्हें अम्बाला की ओर जाना है वे नानौता, संजय चौक से गंगोह, नकुड़, के रास्ते शाहजंहापुर चौकी होकर जायेंगे।
- दिल्ली/शामली की ओर से आने वाले भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली) आदि (खाद्य सामग्री वाहनों को छोड़कर जैसे— राशन, सब्जी दूध, दवाई इत्यादि व पैट्रोल/डीजल, गैस सिलेन्डर, यात्री बसें) जिन्हे मुजफ्फर नगर या देहरादून की ओर जाना है वे नानौता, संजय चौक से बड़गांव के रास्ते देवबन्द से बाईपास होकर जायेंगे।
- अम्बाला की ओर से आने वाले भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली) आदि (खाद्य सामग्री वाहनों को छोड़कर जैसे— राशन, सब्जी दूध, दवाई इत्यादि व पैट्रोल/डीजल, गैस सिलेन्डर, यात्री बसें) जिन्हे दिल्ली/शामली की ओर जाना है वे शाहजंहापुर चौकी से बाईपास से होकर चौकी चुन्हेटी थाना रामपुर मनिहारान से दिल्ली/शामली की ओर जायेंगे।
- अम्बाला की ओर से आने वाले भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली) आदि (खाद्य सामग्री वाहनों को छोड़कर जैसे— राशन, सब्जी दूध, दवाई इत्यादि व पैट्रोल/डीजल, गैस सिलेन्डर, यात्री बसें) जिन्हे देहरादून व मुजफ्फरनगर की ओर जाना है वे शाहजंहापुर चौकी थाना सरसावा से बाईपास से होकर जायेंगे।
- मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाले भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली) आदि (खाद्य सामग्री वाहनों को छोड़कर जैसे— राशन, सब्जी दूध, दवाई इत्यादि व पैट्रोल/डीजल, गैस सिलेन्डर, यात्री बसें) जिन्हे देहरादून की ओर जाना है वे बाईपास से होकर जायेंगे।
- विकासनगर/बेहट की ओर से आने वाले भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली) आदि (खाद्य सामग्री वाहनों को छोड़कर जैसे— राशन, सब्जी दूध, दवाई इत्यादि व पैट्रोल/डीजल, गैस सिलेन्डर, यात्री बसें) जिन्हें दिल्ली की ओर जाना है वह कलसिया तिराहे से छुटमलपुर से बाईपास से होकर जायेंगे।
- देहरादून/हरिद्वार की ओर से आने वाले भारी वाहन (ट्रक/ट्रैक्टर ट्राली) आदि (खाद्य सामग्री वाहनों को छोड़कर जैसे— राशन, सब्जी दूध, दवाई इत्यादि व पैट्रोल/डीजल, गैस सिलेन्डर, यात्री बसें) जिन्हें अम्बाला की ओर जाना है वे बाईपास से ही संचालित रहेंगे।

प्रेस नोट दिनांक 06-09-2021

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-१४ सहारनपुर द्वारा पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 51,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई गई सजाः—

अवगत कराना है कि दिनांक 09-06-2018 को वादिया निवासिनी जनकपुरी, सहारनपुर की 13 वर्षीय पुत्री के साथ अभि० ब्रह्मानन्द उर्फ भण्डारी पुत्र परमानन्द निवासी जनकपुरी, सहारनपुर द्वारा बलात्कार करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मा० न्यायालय के आदेशानुसार 156(3) के तहत थाना जनकपुरी पर मु०अ०सं० 183 / 2018 धारा 376,504,506 भा०द०वि० व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 141 / 2018 पर मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-१४ सहारनपुर में विचाराधीन था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाना जनकपुरी एवं मॉनेटरिंग सैल से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-१४, सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 06-09-2021 को अभि० ब्रह्मानन्द उर्फ भण्डारी पुत्र परमानन्द उपरोक्त को मु०अ०सं० 183 / 2018 धारा 376,504,506 भा०द०वि० व 3/4 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 10 वर्ष का कारावास व 51,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा खुशीद की हत्या का
किया गया सनसनीखेज खुलासा, घटना को अंजाम देने वाले 02**

हत्यारोपी गिरफ्तारः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06-09-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा ग्राम फिरोजाबाद (अभियान के मकान) से अभियान 1-खुशीद पुत्र मकसूद निवासी कस्बा व थाना कैराना जिला शामली, हाल पता ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 2-श्रीमती आसमा पत्नी खुशीद निवासी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को समय 09.30 बजे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है, जो थाना चिलकाना पर पंजीकृत मुआओसं 310/21 धारा 302/120बी भादवि में वांछित थे। उपरोक्त अभियोग मृतक खुशीद की पत्नी आसमा ने इस आशय से दर्ज कराया था कि मेरे पति की अज्ञात लोगों के द्वारा हत्या कर दी गयी है। बाद विवेचना से प्रकाश में आया कि वादिया ने षड्यन्त्र रचकर अपने देवर खुशीद के साथ मिलकर 03 बिस्सा जमीन के लालाच में व अपने देवर खुशीद से सम्बन्धो को लेकर अपने पति खुशीद की रस्सी से गला घोटकर हत्या की है। गिरफ्तार अभियानों को माओन्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- खुशीद पुत्र मकसूद निवासी कस्बा व थाना कैराना जिला शामली हाल पता ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
- श्रीमती आसमा पत्नी खुशीद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

- प्र0निरी0 श्री राजेश कुमार भारती थाना चिलकाना, स0पुर।
- व0उ0नि0 सतीश कुमार थाना चिलकाना, स0पुर।
- उ0नि0 दीपचन्द थाना चिलकाना जनपद, स0पुर।
- उ0नि0 नरेश कुमार थाना चिलकाना, स0पुर।
- का0 1719 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना, स0पुर।
- म0का0 2158 कु0 अंजली कश्यप थाना चिलकाना, स0पुर।
- म0का0 2128 कु0 नीरु थाना चिलकाना, स0पुर।



પ્રેસ નોટ દિનાંક 05.09.2021 થાના નાગલ જનપદ સહારનપુર

શ્રીમાન વરિષ્ઠ પુલિસ અધીક્ષક મહોદય સહારનપુર વ શ્રીમાન પુલિસ અધીક્ષક ગ્રામીણ મહોદય સહારનપુર દ્વારા નિર્ગત આદેશો નિર્દેશો કે અનુપાલન મે તથા શ્રીમાન ક્ષેત્રાધિકારી દેવબન્દ મહોદય કે નિકટ પર્યવેક્ષણ મે સંદિગ્ધ વ્યક્તિ/વાંछિતો/વારન્ટી અભિયુક્તો કી ગિરફ્તારી એવં નશા મુક્તિ અભિયાન કે અન્તર્ગત શ્રી બીનૂ ચૌધરી થાનાધ્યક્ષ થાના નાગલ કે કુશલ નેતૃત્વ મે થાના નાગલ પુલિસ દ્વારા અભિ0 સરફરાજ પુત્ર અસગાર થાના નાગલ જનપદ સહારનપુર કો 120 પ્રતિબન્ધિત નશીલી ગોલિયો કે સાથ ઉમાહી તિરાહે કે પાસ સે સમય કરીબ 16.10 બજે ગિરફ્તાર કર મા0 ન્યા0 ભેજા જા રહા હૈ ઇસકે અતિરિક્ત અભિ0 ઉપરોક્ત કા મા0 ન્યાયાલય ઎ડીજે 11 સુપુર સે એન્બીડબ્લૂ ભી જારી હૈ થાનાધ્યક્ષ નાગલ શ્રી બીનૂ ચૌધરી દ્વારા થાના ક્ષેત્ર કો અપરાધ મુક્ત કરાને કે લિયે અપરાધિયો કે વિરુદ્ધ લગાતાર કી જા રહી પ્રભાવી કાર્યવાહી સે અપરાધિયો મે હડકમ્પ મચા હુઆ હૈ તથા થાના નાગલ ક્ષેત્ર જનતા દ્વારા પુલિસ દ્વારા અપરાધિયો કે વિરુદ્ધ કી જા રહી કાર્યવાહી કી ભૂરી ભૂરી પ્રસંશા કી જા રહી હૈ

અભિ0 કા નામ વ પતા:-

1-સરફરાજ પુત્ર અસગાર નિ0ગ્રામ ઉમાહી થાના નાગલ જનપદ સહારનપુર

બામદગી

1-120 એલપ્રાજોલમ નશીલી ગોલિયા પ્રતિબન્ધિત

અભિ0 સરફરજા ઉપરોક્ત કા આપરાધિક ઇતિહાસ-

1-મુ0અ0સ0 174/21 ધારા 8/22 એન્ડીપીએસ એક્ટ

2- મુ0અ0સ0 311/16 ધારા 15 એન્ડીપીએસ એક્ટ

ગિરફ્તાર કરને વાળી પુલિસ પાર્ટી કા નામ:-

1-ઝોનિ0 સતેન્દ્ર કુમાર

2-હૈ0કા0 156 પ્રમોદ કુમાર

3-હૈ0કા0 363 ધનપાલ સિંહ

प्रेस नोट दिनांक 06.09.2020

दिनांक 06.09.2020 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर के आदेशानुसार व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर श्री राजेश कुमार व श्रेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार भारती थाना चिलकाना के कशुल नेतृत्व मे चिलकाना पुलिस द्वारा ग्राम आलहनपुर ईख के खेत से अभियुक्त 1. विनकल पुत्र लाल सिह निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 2. सरफराज पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार कर अभियुक्तगणो के कब्जे से 20 पेटी शराब हरियाणा मार्का बरामद कर थाना हाजा पर मु0अ0स0 313/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। जिनको गिरफ्तार कर मानीनय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1. विनकल पुत्र लाल सिह निवासी ग्राम पठेड थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. सरफराज पुत्र लियाकत निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी

20 पेटी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम

- 1- प्र0नि0 राजेश कुमार भारती थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री दीपचन्द थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
- 3- उ0नि0 मनोज कुमार थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
- 4- उ0नि0 सुरेश कुमार थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
- 5- का0 837 नीटू कुमार थाना चिलकाना जिला सहारनपुर
- 6- का0 1719 अरविन्द कुमार थाना चिलकाना जिला सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 06—09—2021

थाना गंगोह पुलिस द्वारा अवैध नशीली गोलियों सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 05—09—2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा लखनौती रोड कस्बा व थाना गंगोह से अभि0 1—दलजीत सिंह पुत्र बघ्घा सिंह निवासी ग्राम लखनौती थाना गंगोह, सहारनपुर 2—बिटटू पुत्र विकान्त निवासी मौ0 सराय कस्बा व थाना गंगोह, सहारनपुर व 3—सागर पुत्र सुरन्द्र निवासी ग्राम सांगाठेडा थाना गंगोह, सहारनपुर को 850 टैबलेट अल्पाजोरान नशीली सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 445 / 21 धारा 8 / 22 / 29 / 60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 05—09—2021 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा कस्बा गंगोह बाईपास रोड के पास से अभि0 1—तेजअली पुत्र करीमुददीन निवासी ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह, सहारनपुर व 2—सददाम पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम कोठडा थाना गंगोह, सहारनपुर को 20 ग्राम नाजायज स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 446 / 21 धारा 8 / 21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 05—09—2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा कस्बा मिर्जापुर शेरपुर पेलो रोड से अभि0 1—शौकीन पुत्र असगर व 2—शाबिर पुत्र असगर निवासी छप्पर वाली मस्जिद मिर्जापुर, सहारनपुर एवं गाडा नदी मिर्जापुर से अभि0 3—गुलशेर पुत्र शब्बीर निवासी गाडा रोड मिर्जापुर, सहारनपुर को 01—01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 203,204,205 / 21 धारा 4 / 25 आमर्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 05—09—2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा ग्राम मरवा तिराहा रजवाहे के पास थाना बेहट से अभि0 नरेन्द्र उर्फ मोनू पुत्र इसम सिंह निवासी हथौली थाना बेहट, सहारनपुर को 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 443 / 21 धारा 60 / 63 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना को0नगर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 05—09—2021 को थाना को0नगर पुलिस द्वारा नुमाईश कैम्प से अभि0 1—अब्दुल सलाम पुत्र मौ0 सुलेमान व 2—मोसीन पुत्र युसुफ निवासी अमन कालोनी गैस गोदाम थाना को0देहात, सहारनपुर को चोरी की योजना बनाते समय टार्च व 01—01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर पर मु0अ0सं0 193 / 21 धारा 398,401 भादवि व मु0अ0सं0 194,195 / 21 धारा 4 / 25 आमर्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना को0देहात पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 05—09—2021 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा मठ तिराहा से अभि0 शहनवाज पुत्र इरफान दाई निवासी गंदेवडा थाना फतेहपुर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 459 / 21 धारा 4 / 25 आमर्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

**मीडिया/सोशल मीडिया सेल
जनपद सहारनपुर।**